(ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) provisions of this notification, insofar as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

[F. No. 354/428/2018- TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 15/2018 - Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018 *vide* number G.S.R. 679(E), dated the 26th July, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 30/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1274(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

"स्पष्टीकरण 2- इस मद में निहित कोई भी बात भारत में एक स्थान से भारत में ही दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न अन्य किसी सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। "।

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा।

3. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/428/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि 681 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 30/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28thJune, 2017, hereby

inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:-

"*Explanation 2.*-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.".

2. The existing *Explanation* in the above item shall be renumbered as *Explanation 1.*

3. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

[F. No. 354/428/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017 – Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 I, dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 17/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018 vide number G.S.R. 681I, dated the 26th July, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 28/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1275(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उप वाक्य (iii) और उपवाक्य (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (xii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (xi)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण 1 में, शब्द "स्कूल, कालेज" को विलोपित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (iv) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे यात्रियों के पास सामान हो या नहीं।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ती करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (iv) को देखें]